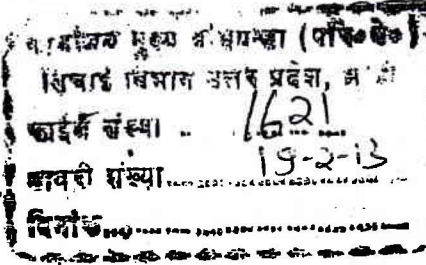


प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियान्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ।



लखनऊ, दिनांक: ११ फरवरी, 2013

सिंचाई अनुभाग-४

विषय: भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियान्ता (अनु० एवं निय० मण्डल-२), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अशा० पत्र संख्या-४६३/अनिम-२/यू-४/भौरट बांध, दिनांक: २९ नवम्बर, २०१२ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक: २८ जनवरी, २०१३ में प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित लागत ₹४३३५५.८६ लाख के सापेक्ष ₹४०९५४.८९ लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया तथा निम्न निर्देश दिए गए:-

- (१) प्रायोजना का निर्माण कार्य मार्च, २०१६ तक पूर्ण करा लिया जाए।
- (२) पर्यावरण क्लीयरेंस तथा समस्त वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराए जाएं।
- (३) पुनर्वास अनुदान का व्यय तत्सम्बन्धी नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
- (४) प्रायोजनान्तर्गत की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (५) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए तथा इस समिति द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार जब परियोजना के निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी तत्समय शासन स्तर पर उक्त समिति का गठन किया जाएगा। कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अधीन पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत के अनुसार वित्त पोषण के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

S.E.I.C.C.
JHANSI

संख्या- ५५१ (१)/१३-२७-सि०-४ तददिनांक:

प्रतिलिपि मुख्य अभियान्ता (परि०-२१०), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सिंचाई विभाग उ०प्र०, झांसी
दिनांक १९.२.२०१३

आज्ञा से,

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियान्ता सिंचाई निर्माण मण्डल (राकेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

नियमों के तहत प्रायोजना को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था।
विस्तृत निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
जो निर्देशों को करने का कष्ट करें,

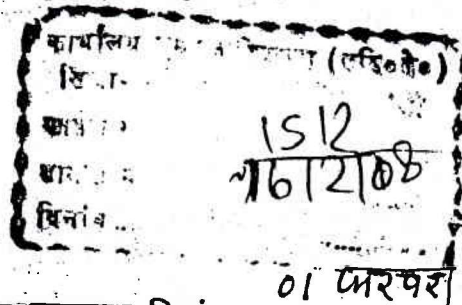
वरिष्ठ अधिकारी
सिंचाई विभाग, उ०प्र०, झांसी
दिनांक १९/२/१३

प्रेषक,

जय प्रकाश नारायण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता,
सिंचाई विभाग, 30प्र0,
लखनऊ।



सिंचाई अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 2008

विषय: भौरेट बांध परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2, सिंचाई विभाग, 30प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35/अनिम-2/सू-4/अनु-56, दिनांक 13-08-07 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भौरेट बांध परियोजना, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रु0 8540.50 लाख पर आंकलित/अनुमोदित की गयी है। इस परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु व्यय की नई मांग के माध्यम से रु0 2,00,00,000.00 (रु0 दो करोड़ मात्र) की व्यवस्था करायी गयी है। अतः श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में परियोजना हेतु व्यय की नई मांग के माध्यम से करायी गयी बजट व्यवस्था रु0 2,00,00,000.00 (रु0 दो करोड़ मात्र) में से रु0 1,00,00,000.00 (रु0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करते हैं और इतनी ही धनराशि को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के निर्वर्तन पर रखने की सहमति भी प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त धनराशि का व्यय किये जाने में वित्तीय हस्तपुस्तिका में सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त कार्य पर होने वाला व्यय सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा।

5- परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखा शीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्याय-आयोजनागत-57-भौरेट-उटारी बांध परियोजना

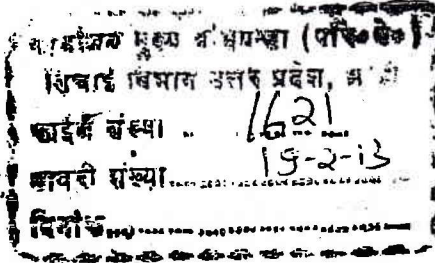
(P)
16/2/08

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ।



लखनऊ, दिनांक: ११ फरवरी, 2013

सिंचाई अनुभाग-४

विषय: भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (अनु० एवं निय० मण्डल-२), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के अशा०पत्र संख्या-४६३/अनिम-२/यू-४/भौरट बांध, दिनांक: २९ नवम्बर, २०१२ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक: २८ जनवरी, २०१३ में प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित लागत ₹४३३५५.८६ लाख के सापेक्ष ₹४०९५४.८९ लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया तथा निम्न निर्देश दिए गए:-

- (१) प्रायोजना का निर्माण कार्य मार्च, २०१६ तक पूर्ण करा लिया जाए।
- (२) पर्यावरण क्लीयरेंस तथा समस्त वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराए जाएं।
- (३) पुनर्वास अनुदान का व्यय तत्सम्बन्धी नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
- (४) प्रायोजनान्तर्गत की द्वावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (५) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए तथा इस समिति द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार जब परियोजना के निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी तत्समय शासन स्तर पर उक्त समिति का गठन किया जाएगा। कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अधीन पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत के अनुसार वित्त पोषण के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

S.E.I.C.C.
JHANSI

संख्या- ५५१ (१)/१३-२७-सि०-४ तददिनांक:

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (परि०ब०), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक- १६२१/५-अ-५-५७ भौरट सिंचाई विभाग उ०प्र०, झांसी दिनांक ११.२.२०१३

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल (राकेश प्रताप सिंह)

अनु सचिव।
विदुषा निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करने हेतु अनुरोध।
के निर्देशित करने का कष्ट करें,

वरिष्ठ अधिकारी
प्रति महत्वाकांक्षी अधिकारी

११/२/१३